

संख्या- 1625 /43-2-2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2010

विषय: समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालयों और उसकी सहायक जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण नोटिस बोर्ड पर अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-547/43-2-2009, दिनांक 25-5-2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिपत्र के माध्यम से यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय और उनकी समस्त इकाइयों में एक नोटिस बोर्ड पर जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम उनका पदनाम, बैठने का स्थान मिलने का समय और दूरभाष नम्बर आदि अंकित किया जाय, साथ ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय का पता भी अंकित किया जाय और उसे कार्यालय के ऐसे स्थान पर लगाया जाय, जहाँ तक पहुँच के लिये किसी प्रवेश पत्र की आवश्यकता न हो, जिससे नागरिकों को उन तक पहुँच में सुविधा हो सके।

3- राज्य सूचना आयोग द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि आयोग को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि उक्त निर्देशों के बावजूद विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों में अभी भी नोटिस बोर्ड नहीं लगाये हैं, जिनमें जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के बारे में विवरण उपलब्ध हो। आयोग द्वारा ऐसे मामलों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग तथा अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय और उनकी समस्त इकाइयों में एक नोटिस बोर्ड पर उपर्युक्त विवरण अंकित कराने तथा उसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग एवं राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्वत्

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।